राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः–एफ –13/1/3/वीएस/डीईएस/अधि. संशो./2023/655 दिनांकः–20.11.23

परिपत्र

विषयः– जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के संबंध में।

उक्त विषयान्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय के गजट अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2023 द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 20) जारी किया गया है, जो 01 अक्टूबर 2023 से समस्त राज्यों में लागू किए गए हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में किए गए मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैंः–

सम्मिलित – धारा 3(iv):– मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रारों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटा को ऐसे संबंधित डेटाबेस से साझा करें जिसे भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा संधारित किया जाएगा।

सम्मिलित – धारा 3(5):– केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को, अनुरोध करने पर निम्न विषयों के डेटाबेस संधारित करने वाले प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है–

(a) जनसंख्या रजिस्टर
(b) मतदाता सूची
(c) आधार संख्या
(d) राशन कार्ड
(e) पासपोर्ट
(f) ड्राइविंग लाइसेंस
(g) संपत्ति पंजीकरण और
(h) राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अन्य डेटाबेस जिन्हें अधिसूचित किया जाये।

और प्राधिकारी समय–समय पर अधिसूचित अवधि के भीतर की गई कार्रवाई की सूचना केंद्र सरकार को देगाः

बशर्ते खंड (बी) में मतदाता सूची से संबंधित डेटाबेस को तैयार करना या रखरखाव, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जायेगा।

सम्मिलित – धारा 4(5):– मुख्य रजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पोर्टल का उपयोग करके जन्म या मृत्यु को पंजीकृत करने और राज्य स्तर पर पंजीकृत जन्म

और मृत्यु का एक एकीकृत डेटाबेस (जन्म–मृत्यु) बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा और रजिस्ट्रार के लिए पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डेटा ऐसे डेटाबेस से साझा करना अनिवार्य होगा।

सम्मिलित – धारा 4(6):– राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डेटाबेस, अनुरोध करने पर, राज्य स्तर पर अन्य डेटाबेस वाले प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जा सकता है, और वह प्राधिकारी समय–समय पर राज्य सरकार को ऐसी अवधि के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी देगा जैसा कि अधिसूचित की गई है, बशर्ते मतदाता सूची से संबंधित डेटाबेस की तैयारी या रखरखाव के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जावे।

संशोधित – धारा 7(5):– रजिस्ट्रार, अपनी अधिकारिता के विर्निदिष्ट क्षेत्रों के संबंध में मुख्य रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से, किसी आपदा या महामारी की स्थिति में विशेष उप–रजिस्ट्रार नियुक्त कर अपनी शक्तियां और कर्तव्य हस्तांतरित कर सकता है।

संशोधित – धारा 8(**i**):– जन्म के मामले में माता–पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर, यदि उपलब्ध हो, पंजीकरण के लिए मौखिक या लिखित रूप से हस्ताक्षर सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जा सकता है।

सम्मिलित – धारा 8(**iii**):– जन्म और मृत्यु को पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक व्यक्तियों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है–

- गैर–संस्थागत गोद लेने के संबंध में, दत्तक माता–पिता।
- एकल माता–पिता या अविवाहित मां के गर्भ से बच्चे के जन्म के संबंध में, माता–पिता।
- सरोगेसी के माध्यम से बच्चे के जन्म के संबंध में, जैविक माता–पिता।
- विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी से गोद लिए गए बच्चे के संबंध में विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी का प्रभारी व्यक्ति।
- किसी अनाथ या परित्यक्त बच्चे या किसी बाल देखभाल संस्थान में समर्पित किए गए बच्चे के संबंध में बाल देखभाल संस्थान का प्रभारी व्यक्ति या केयर टेकर।
- किसी सरोगेसी क्लिनिक में सरोगेसी के माध्यम से बच्चे के जन्म के संबंध में सरोगेसी क्लिनिक का प्रभारी व्यक्ति।

प्रतिस्थापित – धारा 10(2) और 10(3):– जहां मृत्यु विशिष्ट उपचार या सामान्य उपचार प्रदान करने वाले किसी भी चिकित्सा संस्थान में होती है, ऐसे प्रत्येक संस्थान के चिकित्सक द्वारा बीमारी के इतिहास, यदि कोई हो, मेडिकल प्रेक्टिशनर हस्ताक्षरित मृत्यु के कारण का प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रपत्र में एवं एक प्रति उसके निकटतम संबंधी को निःशुल्क उपलब्ध करवायेगा। गैर–संस्थागत मृत्यु की स्थिति में वह चिकित्सक जिसने उस व्यक्ति की हाल की बीमारी के दौरान देखभाल की हो, हस्ताक्षरित मृत्यु के कारण का प्रमाण–पत्र मृत्यु की सूचना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में निःशुल्क देगा तथा सूचना देने वाला व्यक्ति मृत्यु की सूचना के साथ उक्त प्रपत्र रजिस्ट्रार को देगा।

प्रतिस्थापित – धारा 12:– रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण–पत्र प्रदान करने की अधिकतम समय सीमा पंजीकरण के दिन से सात दिवस होगी।

प्रतिस्थापित – धारा 13(2):– कोई भी जन्म या मृत्यु जिसकी विलम्ब से सूचना रजिस्ट्रार को तीस दिन के बाद, लेकिन उसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर ही दी जाती है तो केवल जिला रजिस्ट्रार या ऐसे अन्य प्राधिकारी की लिखित अनुमति के साथ निर्धारित शुल्क के भुगतान पर और स्व–सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पंजीकृत किया जाएगा। स्व–सत्यापित दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

प्रतिस्थापित – धारा 13(3):– कोई भी जन्म या मृत्यु, जिसकी विलम्ब से सूचना उसके घटित होने के एक वर्ष के बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है, उसे जन्म या मृत्यु की सत्यता की पुष्टि करने और निर्धारित शुल्क के भुगतान के पश्चात् केवल जिला मजिस्ट्रेट या सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर पंजीकृत किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में जन्म या मृत्यु हुई है।

सम्मिलित – धारा 17(3):– जन्म प्रमाण–पत्र का उपयोग उस व्यक्ति की जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करने के निम्न प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसका जन्म, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम, 2023 के लागू होने या उसके बाद हुआ है।

(a) किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश।
(b) ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना।
(c) मतदाता सूची तैयार करना।
(d) विवाह पंजीकरण।
(e) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में किसी पद पर नियुक्ति।
(f) पासपोर्ट जारी करना।
(g) आधार संख्या जारी करना और
(h) कोई अन्य उद्देश्य जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

संशोधित – धारा 18:– पंजीकरण कार्यालयों का निरीक्षण और उनमें रखे गए रजिस्टरों की जांच ऐसी रीति से एवं ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे की मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट किया जावं।

संशोधित – धारा 23(1)(**iii**):– यदि सूचना देने वाला (घर और अन्य स्थानों के संबंध में) रजिस्टर में अपना नाम, विवरण और निवास स्थान लिखने या अपने अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर करने से, जैसी भी स्थिति हो, इनकार करता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है।

सम्मिलित – धारा 23(1ए(बी)):– यदि सूचना देने वाला (अस्पताल, जेल, अनाथालय, छात्रावास, धर्मशाला, सरोगेसी क्लिनिक, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी आदि जैसे संस्थानों के संबंध में) बिना किसी युक्तियुक्त कारण के कोई जानकारी देने में विफल रहता है या कोई ऐसी जानकारी देता है या दिलवाता है जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करता है

कि उक्त जानकारी झूठी है या अपना नाम, विवरण और निवास स्थान लिखने या आवश्यकतानुसार रजिस्टर में अपने अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर करने से इनकार करेगा, तो जुर्माने से दंडनीय होगा, जो प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में एक हजार रुपये तक का हो सकेगा।

संशोधित – धारा 23(2):– कोई भी रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार जो अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाली किसी भी जन्म या मृत्यु को पंजीकृत करने या सूचना देने वाले को प्रमाण–पत्र देने या अपेक्षित विवरणियां भेजने में युक्तियुक्त कारण के बिना उपेक्षा या इनकार करता है तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा।

संशोधित – धारा 23(4):– घर और अन्य स्थानों के संबंध में मुखबिर जो युक्तियुक्त कारण के बिना इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, जिसके उल्लंघन के लिए इस धारा में कोई जुर्माना प्रदान नहीं किया गया है, उन्हें जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा।

संशोधित – धारा 23(4ए):– सूचना देने वाला (अस्पताल, जेल, अनाथालय, छात्रावास, धर्मशाला, सरोगेसी क्लिनिक, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी आदि जैसे संस्थानों के संबंध में) जो युक्तियुक्त कारण के बिना इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, जिसके उल्लंघन के लिए इस धारा में पूर्व में कोई दंड का प्रावधान नहीं था ऐसे प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नई जोड़ी गई धारा 25(ए):–

(1) किसी कार्रवाई या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति,–

(i) रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार को अपील कर सकता है या

(ii) जिला रजिस्ट्रार, ऐसी कार्यवाही या ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित प्रारूप और प्रक्रिया से, मुख्य रजिस्ट्रार को अपील कर सकता है।

(2) जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार जैसी भी स्थिति हो, उपधारा में निर्दिष्ट अपील का ऐसी अपील की तारीख से 90 दिवस की अवधि के भीतर निस्तारण करेगा।

उक्तानुसार संशोधित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(भंवर लाल बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ –13/1/3/वीएस/डीईएस/अधि. संशो./2023/655 दिनांकः– 20.11.23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

1– उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली।

2– निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6–बी झालाना डूंगरी, जयपुर।

3– अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर समस्त।

4– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, जयपुर।

5– निजी सचिव, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।

6– निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।

7– निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।

8– निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

9– निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)।

10– निजी सचिव, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (प.क.), स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

11– निजी सचिव, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (आरसीएच), स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

12– जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, समस्त।

13– जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त।

14– ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Form No. 15
(See Rule 16 A)

FORM FOR APPEAL

(To be submitted to District Registrar / Chief Registrar)

(under Section 25(A) of the Registration of Births and Deaths (Amendment), Act 2023)

1. Aggrieved by an action or order of: Registrar / District Registrar (details of office to be provided as below)

State	District	Sub-District	Village/Town	Locality	RU ID	Name of Registrar / Distt. Registrar

2. Account of Event Leading to appeal with date and order no. etc.
(Provide a detailed account of the occurrence, use attachments, if necessary)

DECLARATION:

☐ I have furnished true information to the best of my knowledge and belief.

(Signature of the appellant)

Date D D - M M - Y Y Y Y

Appellant details:

Name	Address	Aadhaar no.	Email Id	Mobile No.

Notes:

1. *Please retain a copy of this form for your own records.*
2. *Appeal, if any, must be submitted to District Registrar / Chief Registrar within a period of 30 days from the date of such action or receipt of such order with which the person is being aggrieved.*
3. *Date, wherever it occurs, is to be provided in dd-mm-yyyy format, where dd is date in two digits, mm is month in two digits and yyyy is year in four digits e.g 01-01-2023. Use only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and other numerical entries.*
4. *Name, wherever it occurs, is to be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory.*
5. *Address, wherever it occurs, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub-district, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.*

Form No. 14
(See Rule 9)

Format of Self-attested document for Delayed Reporting of BIRTH / DEATH under Section 13(2) of the Registration of Births and Deaths (Amendment), Act 2023

DECLARATION

I.....,son/daughter/wife of ..... do .....,resident of ..... hereby declare that:

1. I am the informant for the delayed reporting of Birth / Death of_____(name of child / deceased)_____son/daughter/spouse of .....;
2. He / she was born / died on ___(date of birth / death)_____ at (place of birth / death).....;
3. He / she was attended at birth /death by _____ who resides at_____;
4. The reason(s) for the delay in reporting of his / her birth /death are _____;
5. His / her birth / death certificate is required for the purpose of _____;

DECLARATION:

☐ *I, declare that the above information is true and I have not reported the above event to any Registrar and no birth / death certificate has been issued in this respect, to the best of my knowledge and belief.*

Name and Signature or
left thumb mark of the informant

Date | D | D | - | M | M | - | Y | Y | Y | Y |

Notes:

1. *Date, wherever it occurs, is to be provided in dd-mm-yyyy format, where dd is date in two digits, mm is month in two digits and yyyy is year in four digits e.g 01-01-2023. Use only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and other numerical entries.*

2. *Name, wherever it occurs, is to be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory.*

3. *Address, wherever it occurs, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub-district, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.*